

उप सचिव संप्र०(वि०) 11/2/27

कार्ड सं०



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग, कक्ष सं०-410, चतुर्थ तल, शक्ति भवन मुख्यालय)

दुपहिया वाहन प्रवेश/पार्किंग हेतु निर्धारित प्रारूप-आवेदन पत्र

01. वाहन के मालिक (कारपोरेशन कार्मिक/संविदा कर्मी इंगित करें) :-.....
का पूरा नाम एवं पदनाम
02. संविदा कर्मी कृपया अनुबन्धित संस्था का नाम/पता (इंगित करें) :-
03. तैनाती स्थान/कार्यालय का पूर्ण पता (निगम सहित) :-
04. दूरभाष नम्बर :- (मोबाइल नम्बर) :- (कार्यालय/रैक्स नं०)
05. आवेदक के निवास का पूर्ण पता (स्थानीय) :-
(स्थायी)
06. वाहन का रजिस्ट्रेशन नं० :-मॉडल/कम्पनी.....
07. ड्राइविंग लाइसेन्स नं० :-वैधता तिथि.....
(यदि वाहन परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पंजीकृत है, तो, इस आशय का एक शपथ-पत्र रु० 100/- के स्टैम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर संलग्न प्रस्तुत करना होगा) (इंगित करें)
08. वाहन मालिक को निर्गत स्थायी/अस्थायी "परिचय-प्रवेश पत्र" की संख्या :-
09. पूर्व में यदि वाहन प्रवेश पत्र निर्गत हुआ हो तो उसकी संख्या :-

मैं, घोषणा/प्रमाणित करता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करते हुये शक्ति भवन परिसर में प्रवेश हेतु वैध प्रवेश-पत्र धारक द्वारा ही उल्लिखित वाहन का उपयोग एवं निर्धारित स्थान पर पार्किंग किया जायेगा।

दिनांक स्थान

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
(मोहर सहित)

सत्यापित एवं अग्रसारित करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम व पद तथा मोहर)

संलग्नक :- 01. वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र (R.C)/ड्राइविंग लाइसेन्स की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

02. स्वयं के परिचय-प्रवेश पत्र (स्थायी/अस्थायी) की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट :- 01. केवल हिन्दी में भरे फार्म ही स्वीकार किये जायेंगे।

02. उपरोक्त प्रारूप में भरे हुये तथ्यों/विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी अग्रसारित अधिकारी की होगी।

03. दुपहिया पहिया वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थल/समुचित स्थल पर ही पार्क किये जाये। अन्यथा वाहन अन्यत्र पाये जाने पर प्रवेश-पत्र निरस्त करते हुये वाहन विशेष का प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।

04. वाहन प्रवेश-पत्र प्राप्त करने का समय अपरान्ह 4:00 बजे से 5:00 बजे तक है। (कक्ष सं०-410, चतुर्थ तल)